[Shri Tarun Gogoi]

taken. If so, O.N.G.C. are to be blamed squarely for not taking adequate steps before, inspite of its knowledge of known deposits of crude in that region.

This is not the first time that such a thing has happened earlier also in Assam the oil field of Naharkatia though was discovered in the year 1952, the wells were kept sealed till 1962 when the Gauhati Refineries came up To avoid such complications in future, immediate steps should be taken and production in that region need not be stopped or slowed down by setting up a new refinery nearby the site of the reserves to meet all the requirements and thereby helping these backward regions to come up in the map of Petro-Chemical Industry in the country

(ii) Reported difficulties faced by Rajkot Diesel Oil Engineering Industry.

श्री धर्मसिंह भाई पटेल (पोरबन्दर) उपाध्यक्ष महोदय, लोक सभा के नियम 377 के अधीन लोक महत्व के निम्न दर्शित विषय 'गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश के राजकोट में बनते हुए डीजल आयल इंजनों" की क्वालिटी (क्यू) मार्क की मान्यता (रिकगनीशन) उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश भूमि विकास बैंक की ओर से तारीख 1-4-78 से रद्द करने से राजकोट डीजल इंजीनियरिंग उद्योग पर बड़ा खतरा होने के बारे में मैं संक्षिप्त में वक्तव्य देना चाहता हूं।

गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश के राजकोट शहर में आयल इंजीनियरिंग के उद्योग का विकास हुआ है। इस उद्योग में डीजल क्रुड आयल इंजन और इन के पुर्जे (स्पेयर पार्ट्स) बनाये जाते हैं। राजकोट में 160 डीजल आयल इंजन उत्पादन करने की छोटी छोटी फैक्टरियां और डीजल इंजन के पुर्जे बनाने की करीब 2000 छोटी छोटी फैक्टरियां हैं।

राजकोट में वार्षिक करीब एक लाख डीजल इंजन बनते हैं जिनकी कीमत करीब 20 करोड़ रुपये के होती है। इन में 20,000 मजदूर काम करते हैं। समूचे देश में 3 लाख आयल इंजन का उत्पादन होता है। इन में से राजकोट में एक लाख डीजल इंजनों का वार्षिक उत्पादन होता है। इसी तरह से देश के एक तिहाई हिस्सा का उत्पादन सिर्फ राजकोट (सौराष्ट्र) में होता है।

राजकोट में वार्षिक उत्पन्न हुए इस एक लाख डीजल इंजनों में से करीब 30 हजार डीजल आयल इंजनों की उत्तर प्रदेश में बिक्री होती है और 20 000 ईंजन मध्य पूर्व और दूर पूर्व के दूसरे देशों में निर्यात होते हैं और बकाया देश के अन्दर राज्यों में बिक जाते है।

इन डीजल आयल इंजनों की गुणवत्ता के लिए इण्डियन स्टैण्डर्ड इंस्टीट्यूशन से राजकोट के 16 बड़े उत्पादकों ने आई एस आई के मार्क लिए है। आई एस आई मार्क लेने के लिए करीब एक लाख रुपय की मशीनरी लगानी पड़ती है। यह छोटे उद्योग वाले नहीं कर सकते है। इसलिए गुजरात और अन्य सरकारों ने आई एस आई जैसे 'क्यू' मार्क को पद्धति अपनाई है। इनमें केवल छोटे उद्योग वालों को 20 हजार रुपये का खर्चा करना पड़ता है। और गुजरात में ऐसी यूनिटों के क्यू मार्क के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन किये गये है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने और उत्तर प्रदेश भूमि विकास बैंक ने राजकोट में बनते हुए यह क्यू मार्क वाले डीजल इंजनों की मान्यता ता० 1-4-78 से बद कर दी है। इससे राजकोट के करीब 7,000 मजदूरों और छोटी फैक्ट्री वालों को कठिनाइयां उत्पन्न हुई हैं।

राजकोट इंजीनियरिंग एसोसिएशन राजकोट ने ता० 22-3-78 से तार से भारत

सरकार के उद्योग मंत्री, गृह मंत्री, डेवलपमेंट कमिश्नर, स्माल स्केल इंडस्ट्रीज दिल्ली को और उ० प्र० की सरकार और भूमि विकास बैंक को भी जानकारी दी है और मांग की है कि राजकोट में क्यू मार्क वाले डीजल इंजनों की मान्यता उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश भूमि विकास बैंक चालू रखे। इस के बारे में केन्द्रीय सरकार का उद्योग मंत्रालय उत्तर प्रदेश की सरकार और भूमि विकास बैंक को तुरन्त सूचना दे कि राजकोट (सौराष्ट्र) में बनते हुए डीजल आयल इंजनों की क्वालिटी (क्यू) मार्क की मान्यता (रिकगनीशन) चालू रखें और जो लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देकर किसानों को सस्ता डीजल इंजन देने की व्यवस्था अभी तक थी, इसे अमल में चालू रखें।

गुजरात सौराष्ट्र के फूलछाब, लोकमान्य, जनसत्ता, संदेश, गुजरात समाचार जयहिन्द वगैरह दैनिक अखबारों में अग्रलेख और समाचार के माध्यम से भी इसके लिए बहुत मांगें की गई है।

डीजल आयल इंजानियरिंग उद्योग को बचाने के लिए और क्यू क्वालिटी मार्क की मान्यता चालू रखने के लिए उद्योग मंत्रालय तुरन्त प्रबन्ध करे, ऐसी मेरी नम्र प्रार्थना है।

(iii) REPORTED HUNGER STRIKE BY LABOURERS OF CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION, NEW DELHI

SHRI BALDEV SINGH JASROTIA (Jammu): A large number of poor food handling labour of the Central Ware-Housing Corporation Tekh Khand Depot (Okhla, New Delhi) were working in the Depot since its inception under the Contract Labour System which expired on 31st October, 1977 as per the contract Labour (Regulation and Abolishing Act of 1970). The labourers are on relay hunger strike in front of the Central Warehousing Corporation from December 7th, 1977, with a further request to implement the direct payment system.

The wages of the labourers amounting to Rs. 50,000/- approximately, have not been paid besides restoration of all other rights, giving rise to a great unrest in the labour class and it can cause a deadlock besides other law and order situation and complications.

I appeal to the hon. Agriculture Minister and hon. Labour Minister to intervene and solve the problem with a further request that all other benefits to which the labourers are entitled may also be given to them.

A similar problem and situation flowing from the same set of factors is there at Jammu. These Ministers are requested to look into the matter as early as possible to avoid any grave situation which is apt to come out otherwise.

(iv) REPORTED DECISION AT THE CHIEF MINISTERS' CONFERENCE ABOUT ABOLITION OF OCTROI

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर): मैं आपकी अनुमति से नियम 377 के अधीन राज्यों द्वारा आक्ट्राय समाप्ति पर केन्द्र द्वारा जो वित्तीय सहायता दिये जाने की बात कही गई थी उसके न दिए जाने पर यह महत्वपूर्ण विषय उठाना चाहता हूं। राज्यों के मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में जो 18 जनवरी 1977 को दिल्ली के विज्ञान भवन में सम्पन्न हुआ था केन्द्र सरकार की ओर से परिवहन मंत्री द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि जो राज्य आक्ट्राय समाप्त करेंगे उन्हें इससे जो घाटा होगा उस घाटे को पचास प्रतिशत अनुदान दे कर पूरा किया जाएगा, या यह पचास प्रतिशत वित्तीय सहायता के रूप में उस घाटे की पूर्ति हेतु प्रशदान किया जाएगा। मध्य प्रदेश द्वारा केन्द्र के इस आश्वासन के अनुसार आक्ट्राय समाप्त की गई और वित्तीय सहा-